14.5.18 – पत्रावली मरल किया केन्द्र हिंगोनिया में पेश हुई। पक्षकार हाजिर। सुना गया, प्रकरण के कानूनी बिन्दु निहित है ग्राम हिंगोनिया की जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं० 775-735 खसरा नम्बर 307/2 रकबा 5.00 हे० लक्ष्मण वल्द रूपा बणजारा शामिल ... खातेदार के नाम दर्ज है, विरासत नामा० सं० 1728 दिनांक 20.8.14 इतर - ... पिता लक्ष्मण के नाम दर्ज गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। अप्रार्थीगण का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण अथवा कब्जा होने का कोई सबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है। अतः अप्रार्थी सं० 1 से से 5 को खुद व जरिये उनके मातहत कर्मचारी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी के उक्त रकबे के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है, हक अधिकार का निस्तारण मूल वाद के बाद शहादत तय किया जावेगा। उभयपक्ष नियत तिथि अपना अपना पक्ष करे।

हरिराम

(signature)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)